

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

परमिट संख्या 829/B.F.L/11/04-05 (12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

सेवा में,

दिनांक 07-1-05

श्री/श्रीमती श्री विनोद कुमार जियल - मालिक
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री श्री गिरिश सह 800 800 800 बि०
 निवास 63 इंडिया नगर आगरा नगर 2020
66 जी० जी० इन्स 3

महोदय/महोदया,

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नलिखित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

120 मीटर/भूखण्ड 70 70 73

स्थित मीठा इलाकी में प्रस्तावित

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधिन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्र० विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न संलग्नक 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या 829/B.F.L/11/04-05 तद दिनांक

मुहदीय

आगरा विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि-1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर महापालिका आगरा को सूचनार्थ।

2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।

3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं० _____ दिनांक _____ के सन्दर्भ में फायर के प्रावधानों को सुनिश्चित करायें।

आगरा विकास प्राधिकरण